प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''रेलवे वित्त'' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 37 रेलवे वित्त आज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यह प्रतिवेदन भारतीय रेलवे (आईआर) के लेखों और वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है और यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है। प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के क्रमशः वित्त लेखों और विनियोजन लेखों की जांच से उठे मामलों पर आपत्तियां शामिल हैं। प्रतिवेदन के अध्याय 3 में भारतीय रेल के लेखों में गलत वर्गीकरण के मामले, उनकी पुनरावृति के कारण और लेखों में गलत वर्गीकरण और त्रुटियों के सुधार के □ □ □ की गई अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

भारतीय रेल के वित्त प्रबन्धन पर, संघ सरकार (रेलवे)-रेलवे वित्त-2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 37 में निहित मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैः

- 2015-16 के दौरान, सकल यातायात प्राप्तियों मे 4.86 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो कि यात्री अर्जन और मालभाडा अर्जन की वृद्धि दर में कमी के कारण 2014-15 के दौरान प्राप्त 12.29 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी।

(पैरा 1.3.1)

- निवल सामान्य कार्यकारी व्यय में पिछले वर्ष के प्रति 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(पैरा 1.3.2)

- 2014-15 में ₹ 7,664.94 करोड़ की तुलना में 2015-16 में लाभांश देयता को पूरा करने के बाद निवल अधिशेष में ₹ 10,505.97 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 14,265.71 करोड़ के बजट प्राकल्लनों से कम थी।

(पैरा 1.3.6)

- मालभाडा अर्जन की वार्षिक वृद्धि दर में 12.66 प्रतिशत से 3.23 प्रतिशत तक की गिरावट आई। 2011-15 के दौरान मालभाडा अर्जन में वृद्धि भी 15.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[1] (सीएजीआर) से कम थी।

(पैरा 1.4.1.1)

- यात्री अर्जन में वृद्धि 4.96 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की 15.49 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी। 2011-15 के दौरान यात्री अर्जन में वृद्धि भी 14.31 प्रतिशत की सीएजीआर से कम थी।

(पैरा 1.4.1.2)

- 2014-15 के दौरान, यात्री तथा अन्य कोचिंग सेवाओं पर ₹ 33,821.70 करोड़ की हानि हुई थी। मालभाड़ा सेवाओं ने ₹ 38,312.59 करोड़ का लाभ अर्जित किया। भारतीय रेल 2014-15 में यात्री सेवाओं पर हानि को आर्थिक सहायता देने के पश्चात मालभाड़ा आय पर 11.72 प्रतिशत लाभ को बनाए रखने में सक्षम थी।

(पैरा 1.6.1)

- यात्री सेवाओं की सभी श्रेणी (एसी-3 टायर को छोड़कर) ने 2014-15 में हानि वहन की।

(पैरा 1.6.2)

- मरे, पूमरे, पूतरे, उमरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपूमरे, परे तथा पमरे का परिचालन अनुपात (यातायात आय के लिए कार्यकारी व्ययो की प्रतिशतता) 50.52 प्रतिशत तथा 98.13 प्रतिशत के बीच था जबकि पूरे, उरे, उपूरे, उपूसीरे, दरे, दपरे तथा मेट्रो रेल कोलकाता का परिचालन अनुपात 102.60 प्रतिशत तथा 237.80 प्रतिशत के बीच था। भारतीय रेल का परिचालन अनुपात 2014-15 में 91.25 प्रतिशत से 2015-16 में 90.49 प्रतिशत सुधार हुआ।

(पैरा 1.9.1)

[1] *वार्षिक चक्रवृद्धि के प्रभाव को देखते हुए कई वर्षों की अवधि में वृद्धि दर*

- रेलवे निधि में उपलब्ध शेष 2014-15 में ₹ 6,872.73 करोड़ से वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 10,806.68 करोड़ तक बढ़ा। निधि शेषों में सुधार मुख्य रूप से पूंजीगत निधि से 2011-12 से 2013-14 तक की समयावधि के दौरान ₹ 12,629.49 करोड़ तक भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) को पट्टा प्रभारों के पूंजी घटक का भुगतान न होने के कारण था। हालांकि भारतीय रेल ने 2014-15 से पूंजीगत निधि से आईआरएफसी को पट्टा प्रभारों के पूंजी घटक का भुगतान प्रारम्भ किया। आईआरएफसी ने पूंजीगत निधि से 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमश: ₹ 5,449.24 करोड़ तथा ₹ 6,324.74 करोड़ का भुगतान किया। 2015-16 की समाप्ति तक पूंजीगत निधि ₹ 907.43 करोड़ पर बन्द हुई। 2015-16 में विकास निधि, रेलवे सुरक्षा निधि तथा पेंशन निधि क्रमश: ₹ 390.39 करोड़ , ₹ 15.52 करोड़ तथा ₹ 5,657.30 करोड़ के शेष के साथ बन्द हुई।

(पैरा 1.11)

- भारतीय रेल मौजूदा परिसम्पत्तियों के पुन: स्थापन तथा नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास आरक्षण निधि (डीआरएफ) अनुरक्षित करता है। परिसम्पत्तियों की संभावित उपयोग अवधि तथा शेष अवधि को छोडकर पिछली लागत के आधार पर डीआरएफ हेतु योगदान नहीं किया गया परन्तु यह उस राशि पर निर्भर था जिस पर कार्यकारी व्यय वहन किया जा सकता था। रेल मंत्रालय ने 2015-16 के दौरान ₹ 8,100 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति केवल ₹ 5,800 करोड़ विनियोजित किया था जो बजट प्रावधान से ₹ 2,300 करोड़ (अर्थात 28.40 प्रतिशत) तक कम था। मूल्यह्रास के लिए कम प्रावधान के परिणामस्वरूप पुरानी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों का संचयन हो गया था। डीआरएफ से (2015-16 तक) प्रतिस्थापन की जाने वाली परिसम्पत्तियों का प्रक्षेपित मूल्य ₹ 41,274.49 करोड़ पर अनुमानित था जिसमें मुख्यत: चल स्टॉक पर ₹ 24,756 करोड़, रेल पथ नवीनीकरण पर ₹ 10,574 करोड़, पुल निर्माण कार्यों पर ₹ 1,897 करोड़, सिग्नर्लिग तथा दूरसंचार कार्यों पर ₹ 1,354 करोड़ तथा मशीनरी तथा संयंत्रों पर ₹ 989 करोड़ शामिल है। इस प्रकार, रेलवे प्रणाली में पुरानी परिसम्पत्तियों के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन का कार्य काफी संचित है जिसका गाड़ियों के सुरक्षित चालन हेतु समय पर प्रतिस्थापन करना आवश्यक है। 2015-16 की समाप्ति पर डीआरएफ ₹ 32.78 करोड़ के शेष पर बंद हुआ था।

(पैरा 1.11)

- भारतीय रेल ने एक राजस्व अनुदान तथा पांच राजस्व विनियोजनों में ₹ 75.87 करोड़ खर्च किए जो संसद द्वारा दिए गए अधिकार से अधिक था।

(पैरा 2.2.1)

- 13 राजस्व अनुदानों तथा पूंजीगत अनुदान के दो खंड़ों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसमें पूंजी के तहत बचते, पूंजीगत अनुदानों मे रेलवे निधि तथा निधियों में विनियोजन भविष्य निधि पैन्शन तथा राजस्व अनुदानों में अन्य सेवानिवृति लाभ काफी अधिक था।

(पैरा 2.2.2)

- 31 मार्च 2016 तक ₹ 5,338 करोड़ की राशि का, जिसमें 3567 मामले शामिल है, असंस्वीकृत व्यय पाया गया था जिसमें दो वर्षों से अधिक के 1941 मामलों में ₹ 395 करोड़ शामिल थे।

(पैरा 2.9)

- वर्ष 2011-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 3,548.95 करोड़ मूल्य के गलत वर्गीकरण तथा त्रुटियों के 560 मामले बताए गए थे जिन्हे रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया तथा 'अनुबंध जे' के रूप में मुद्रित विस्तृत विनियोजन लेखा-भाग II में शामिल किया था। अभिलेखों की संवीक्षा से आगे पता चला कि ₹ 3,548.95 करोड़ के 560 मामलों में से ₹ 3031.36 करोड़ मूल्य के 426 मामले मुख्यत छः क्षेत्रीय रेलवे से संबंधित थे जो गलत वर्गीकरणों की आवृति को रोकने के लिए प्रणाली में दोष को दर्शाता है।

(पैरा 3.2)

- राजस्व अनुदान और अन्य राजस्व अनुदान, राजस्व अनुदान से पूंजीगत राजस्व अनुदान और इसके विपरीत, पूंजीगत अनुदान के (पूंजी, सीएफ, डीएफ, डीआरएफ, आरएसएफ) एक खंड और एक अन्य खंड के बीच व्यय, के गलत वर्गीकरण और गलत प्रदर्शन के कारण ₹ 337.75 करोड़ के 193 मामले थे जिससे रेलवे प्रशासन बच सकता था यदि प्रारंभिक दस्तावेजों की उचित संवीक्षा की गई होती।

(पैरा 3.3.2)

- लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 1431.05 करोड़ मूल्य के धन के अनियमित समायोजन के 66 मामले बताये गये थे और रेलवे द्वारा स्वीकार किये गये थे।

(पैरा 3.3.5)

- पिछले वर्षों के लेखों में गलत वर्गीकरण और त्रुटियों को बार-बार बताने के बावजूद, आगे 2015-16 के लेखों में ₹ 1004.83 करोड़ के गलत वर्गीकरण और त्रुटियों के 123 मामलें बताए गये थे।

(पैरा 2.8)